प्रा0पत्र 6ए/06/2022 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

सरकार जरिये भगवान सिंह, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पी0एस0) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (ति0) बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री श्याम कृषि सेवा केन्द्र रुपवास जरिये श्री नीरज कुमार पुत्र श्री श्याम स्वरुप जाति वैश्य निवासी मैन मार्केट रुपवास (भरतपुर)

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

आदेश **दिनांक 7.8.2024**

प्रार्थी यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित सार्वजनिक उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.9.2022 सांय 4.30 बजे अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर अवैध रुप से रखे डीएपी उर्वरक की सूचना पर रुपवास पहुंचकर जांच कार्यवाही की गई कार्यवाही के दौरान सहायक निदेशक कृषि (पी.स.) एवं कृषि अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (तिलहन) भरतपुर खण्ड भरतपुर निरीक्षक सहयोग हेतु मौजूद रहे। फर्म प्रतिनिधी नीरज कुमार की उपस्थित में डीएपी का स्टॉक पोस मशीन से निकलवाया तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो डीएपी का स्टाक शून्य पाया गया जब कि फर्म के गोदाम में 33 कटटे डीएपी मोजेक ब्राण्ड के रखे हुए मिले, जिन्हें कालाबाजारी की मंशा से दुकानदार द्वारा अपनी पोस मशीन से विक्रय दर्शाया जाकर रखा गया था। उक्त मोजेक ब्राण्ड डीएपी अवैध रुप से रखे जाने एवं कालाबाजारी की मंशा होने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 3(3), 7 व 8 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28(1)(डी) का उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अतः धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्त उर्वरक को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ई.सी.एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब नोटिस पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि दिनांक 16.9.2022 को अप्रार्थी की दुकान पर शिकायत मिलने पर जांच की गई, मौके पर जॉच में स्टॉक पोस मशीन से निकल वाया तथा स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया तो डीएपी का स्टाक शून्य पाया गया जब कि मौके पर फर्म के गोदाम में 33 कटटे डीएपी मोजेक ब्राण्ड के रखे हुए मिले अप्रार्थी ने जिन्हें कालाबाजारी की मंशा से अपनी पोस मशीन से विक्रय दर्शाया जाकर रखा गया था। मोजेक ब्राण्ड डीएपी अवैध रुप से रखे जाने एवं कालाबाजारी की मंशा से बचाकर रखा गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 3(3), 7 व 8 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28(1)(डी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जप्त उर्वरक जप्त उर्वरक का नमूना राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोग शाला विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा मानक पाया गया है, जप्त उर्वरक को राजसात किये जाने एवं किसानों को कीमतन विक्रय किये जाने की प्रार्थना की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थी की दुकान में कुछ किसान उर्वरक को खरीद कर बाद में ले जाने की कहकर छोड़ गये थे। 33 उर्वरक कट्टे किसानों को रखे हुये थे। अप्रार्थी द्वारा कोई कालाबाजारी नहीं की जा रही थी। जप्त कट्टे उर्वरक अप्रार्थी को दिलाये जावें ताकि सम्बन्धित किसानों को लोटाये जा सकें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक के कथनो पर गौर किया गया। अप्रार्थी फर्म के खिलाफ शिकायत मिलने पर प्रार्थी द्वारा जांच की गई थी। मौके पर पोस मशीन से स्टॉक जांच की गई, उर्वरक का स्टॉक निल था, जब कि मौके पर भौतिक सत्यापन में गोदाम में 33 कटटे डीएपी मोजेक ब्राण्ड के रखे हुए मिले अप्रार्थी ने जिन्हें कालाबाजारी की मंशा से अपनी पोस मशीन से विक्रय दर्शाया जाकर रखा गया था। अप्रार्थी का यह कहना कि किसान बाद में ले जाने की कह कर छोड़ गये थे स्वीकार योग्य नहीं रहता है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 16.9.2022 का अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा की कार्यवाही फर्द जप्ती से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थी एवं अन्य गवाहन के हस्ताक्षर किये हुये हैं। अप्रार्थी ने मौके पर फर्द कार्यवाही जप्ती में को उज्रदर्ज नहीं कराया है, और ना हीं मौके पर मिले उर्वरक के किसानों का होने का कोई उल्लेख मौका पर्चा वगे0 किया है इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी की यह सारी कार्यवाही बाद की सोच के तहत अपने कृत्य से बचने के लिये प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी का यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 3(3), 7 व 8 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

क्लॉज 28(1)(डी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाकर जप्त उर्वरक को राजसात किया जाना उचित पाते हैं। चूँकि जप्त उर्वरक का नमूना राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोग शाला विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा मानक पाया गया है, अतः जप्त उर्वरक को किसानों को कीमतन विक्रय कराया जाना के निर्देश दिये जाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त 33 कट्टा डीएपी मौजेक ब्राण्ड को राजसात (Confiscate) किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0स0) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) बयाना को निर्देशित किया जाता है कि वे जप्त 33 वैग उर्वरक डीएपी मोजेक ब्राण्ड को क्रय विक्रय के माध्यम से किसानों को कीमतन विक्रय करावें, तथा विक्रय से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जावे। पालना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ0स0) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) बयाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर